

सी.जी.-डी.एल.-सा.-16032021-225927 CG-DL-W-16032021-225927

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 05] नई दिल्ली, मार्च 7— मार्च 13, 2021, शनिवार/ फाल्गुन 16— फाल्गुन 22, 1942

No. 05] NEW DELHI, MARCH 7—MARCH 13, 2021, SATURDAY/PHALGUNA 16—PHALGUNA 22, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2021

का.नि.आ. 6.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और तटरक्षक संगठन समूह 'ख' और 'ग' नक्शानवीस पदों (मुख्य नक्शानवीस, नक्शानवीस श्रेणी 1, नक्शानवीस श्रेणी 2 और नक्शानवीस श्रेणी 3) भर्ती नियम, 2001 को, जहां तक उनका संबंध नक्शानवीस श्रेणी 3 के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पुर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन तटरक्षक संगठन में नक्शानवीस के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1306 GI/2021 (35)

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, तटरक्षक संगठन, नक्शानवीस (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2021 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अईताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अईताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **4. निरर्हता.**—वह व्यक्ति
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पित्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है :

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नक्शानवीस	10* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 4 (25500-81100 रु.)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। टिप्पण 1: केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

		टिप्पण 2 : आयु-सीमा
		अवधारित करने के लिए
		निर्णायक तारीख भारत में
		अभ्यार्थियों से आवेदन प्राप्त
		करने के लिए नियत की गई
		अंतिम तारीख होगी । (न कि
		वह अंतिम तारीख जो असम,
		मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,
		मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,
		त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर
		राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल
		प्रदेश के लाहोल और स्पीति
		जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी
		उपखंड, अंदमान और
		निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के
		अभ्यर्थियों के लिए विहित की
		गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से सिविल या विद्युत या यांत्रिक या नौ इंजीनियरी या नौसेना स्थापत्य कला और पोत- निर्माण में डिप्लोमा या किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्तान से उपर्युक्त शाखाओं में किसी एक में नक्शानवीस में प्रमाणपत्र।	लागू नहीं होता	दो वर्ष
वांछनीय: किसी सरकारी या कानूनी या स्वायक संगठन, पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या ख्याति का निजी संगठन में सिविल या विद्युत या यांत्रिक या नौ इंजीनियरी या नौसेना स्थापत्यकला और पोत-निर्माण में एक वर्ष का अनुभव हो।		
टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।		
टिप्पण 2: अनुभव संबंधी (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यर राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने के संभावना नहीं है।		

भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे
प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	
(10)	(11)
. ,	, ,
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता
1131 1111 21 11	4 .6. 6

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाए
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	लागू नहीं होता।
1. निदेशक (कार्मिक), तटरक्षक मुख्यालय - अध्यक्ष	
2. अवर सचिव (तटरक्षक), रक्षा मंत्रालय - सदस्य	
3. सहायक निदेशक या उप-निदेशक (प्रसासन),	
तटरक्षक मुख्यालय - सदस्य	
4. सहायक निदेशक या उप-निदेशक (सामग्री), तटरक्षक मुख्यालय - सदस्य	

[फा.सं. सी पी/0601/नक्शानवीस/ /डी (सीजी)/2021]

आशिस बिषयी, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 9th March, 2021

- **S.R.O. 6.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Coast Guard Organisation Group 'B' and 'C' Draughtsman posts (Chief Draughtsman, Draughtsman Grade I, Draughtsman Grade II and Draughtsman Grade III) Recruitment Rules, 2001 in so far as it relates to the post of Draughtsman Grade III except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Draughtsman in Coast Guard Organisation under the Ministry of Defence, namely:-
- 1. **Short title and commencement.** (1)These rules may be called the Ministry of Defence, Coast Guard Organisation, Draughtsman (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit, and qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. **Disqualification.**—No person,-
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving**.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Draughtsman	* subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non- Ministerial	Level- 4 in the pay matrix (Rs.25500- 81100)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Between 18 to 25 years of age	Essential:	Not applicable	Two years	By direct recruitment
Note 1: Relaxable for the Government servants upto age of forty years in the case of general candidates and upto the age of forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. Note 2: The crucial date for determining the agelimit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed	(i) Diploma in Civil or Electrical or Mechanical or Marine Engineering or Naval Architecture and Ship construction from a recognised University or institution or certificate in Draughtsmanship in any of the above said disciplines from an industrial training institute. Desirable: One year experience in the concerned field viz Civil or Electrical or Mechanical or Marine Engineering or Naval Architecture and Ship construction in Government or statutory or autonomous Organisation, Public Sector Undertaking or			

for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	University or private organisation of repute. Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		
--	---	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1.Director (Personnel) Coast Guard Headquarters - Chairman; 2.Under Secretary (Coast Guard), Ministry of Defence - Member; 3.Assistant Director or Deputy Director (Administration) Coast Guard Headquarters - Member; 4.Assistant Director or Deputy Director (Materiel) Coast Guard Headquarters - Member.	Not applicable.

[F. No. CP/0601/Draughtsman/ /D(CG)/2021]

ASHIS BISHAYEE, Under Secy.

वित्त प्रभाग

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2021

का.नि.आ. 7 .—राष्ट्रपित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा लेखा विभाग, विरष्ठ अनुवादक और किनष्ठ अनुवादक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2013 का, जहां तक उनका संबंध किनष्ठ अनुवादक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने को लिए लोप किया गया है, रक्षा लेखा विभाग, रक्षा मंत्रालय में किनष्ठ अनुवाद अधिकारी के पदो पर भर्ती की पद्धित को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात;

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा लेखा विभाग, किनष्ठ अनुवाद अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2021 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:-

उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अईताएं आदि:-

पूर्वोक्त पदों के लिए भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बाते वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हताएं:-** कोई व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकेगी।

शिथिल करने की शक्ति:-

जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति:-

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पदों की संख्या (2)	वर्गीकरण (3)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर (4)	चयन अथवा अचयन पद (5)	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा (6)
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	70*(2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अनुसचिवीय	स्तर – 6 (रु. 35400 - 112400)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी।) टिप्पणी: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी(न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड तथा संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्ष्यद्वीप के संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य:	लागू नहीं होता	दो वर्ष	<u>सीधी भर्ती</u>
(I) (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री; या (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री; या (ग) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी तथा हिंदी माध्यम से हिन्दी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में मास्टर डिग्री:			टिप्पणी: पदधारी के एक वर्ष या उससे अधिक समय तक प्रतिनियुक्ति पर जाने या लम्बी अस्वस्थता या अध्ययन छुट्टी अथवा अन्य परिस्थितियों के कारण अनुपलब्ध रहने के कारण हुई रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकेगा। (क) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करता है; और (ख) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तम्भ (7) में विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

या

(घ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी तथा अंग्रेजी माध्यम से हिन्दी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में मास्टर डिग्री;

या

(च) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी अथवा अंग्रेजी विषय के साथ अथवा उनमें से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और अन्य अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषय के रूप में हो, हिन्दी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में मास्टर डिग्री:

और

हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम अथवा भारत सरकार के उपक्रम सहित केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के कार्यालयों में हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद कार्य में दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए लेखबद्ध किए गए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार ; अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरे जाने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या उपलब्ध करने की संभावना है।

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में उस श्रेणी का नाम जिससे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए, समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति :	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
	(1) रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/ रक्षा लेखा नियंत्रक/ रक्षा लेखा अपर नियंत्रक/रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक - अध्यक्ष	
	(2) रक्षा लेखा उप नियंत्रक - सदस्य	
	(3) रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक - सदस्य	

[फा. सं. 9(10)/C/2020]

आर. के. कर्ण, अपर वित्तीय सलाहकार एवं संयुक्त सचिव

(FINANCE DIVISION)

New Delhi, the 9th March, 2021

S.R.O. 7.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Accounts Department, Senior Translator and Junior Translator (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2013, in so far as they relate to the post of Junior Translator, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Translation Officer in the Defence Accounts Department, Ministry of Defence, namely:

1. Short title and commencement.—

- (1) These rules may be called the Defence Accounts Department, Junior Translation Officer (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, Level in pay matrix. —

The number of the said post, its classification and the Level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—

The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.

4. Disqualifications. — No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living,

or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so do to, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and any other special categories of persons in accordance with orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether Selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Translation Officer	70* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group `B` Non- Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6, (Rs.35400- 112400)	Not applicable.	Not Exceeding 30 years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Megalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi sub division of Chamba district of Himachal Pradesh, and Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various
(7)	case of promotees (8)	(9)	methods (10)
Essential:	Not applicable	Two years	Direct recruitment
(A) Master's degree of a recognised University in hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level. OR (B) Master's degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the			Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government;-
compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level. OR			(a)holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department and(b) Possessing the qualifications

(C)Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level.

OR

(D)Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level.

OR

(E) Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level.

AND

Recognized Diploma or certificate course in translation from Hindi to English & vice versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice versa in central or state Government office, including Government of India Undertaking.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

and experience prescribed for direct recruits under Column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grade from which promotion or deputation/ absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group `B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : (1) Principal Controller or Controller or Additional Controller or Joint Controllers of Defence Accounts - Chairman (2) Deputy Controller of Defence Accounts - Member (3) Assistant Controller of Defence Accounts - Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 9(10)/C/2020]

R. K. KARNA, Addl. Financial Adviser & Jt. Secy.

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2021

का.नि.आ. 8.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल फिल्म और फोटो प्रभाग (मुख्य फिल्म पुस्तकालयाध्यक्ष) भर्ती नियम, 2007 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल फिल्म और फोटो प्रभाग में मुख्य फिल्म पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल फिल्म और फोटो प्रभाग, मुख्य फिल्म पुस्तकालयाध्यक्ष (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2021 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्व अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **4.** निरर्हता.—वह व्यक्ति-
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

		-1.9%		
पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या
				अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मुख्य फिल्म	01*	साधारण केन्द्रीय सेवा,	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6	लागू नहीं होता
पुस्तकालयाध्यक्ष	(2021)	समूह 'ख', अराजपत्रित,	(₹.35400-112400)	
	*कार्यभार के आधार पर	अननुसचिवीय	,	
	परिवर्तन किया जा सकता है।			

सीधे भर्ती किए जाने वाले	सीधे भर्ती किए जाने वाले	सीधे भर्ती किए जाने वाले	परिवीक्षा की अवधि, यदि
व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक	व्यक्तियों के लिए विहित आयु	कोई हो
	और अन्य अर्हताएं	और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत	
		व्यक्तियों की दशा में लागू	
		होंगी	
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे
या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तयों की	
प्रतिशतता	
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत् अल्पकालिक संविदा	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत् अल्पकालिक संविदा भी है) या प्रोन्नति :-
भी है) या प्रोन्नति ।	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों प्रशासन या मान्यताप्राप्त
	विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वाशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :-
	(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए
	हुए हो; या
	(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-
	92300रू.) या
	समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष की
	नियमित सेवा की हो; या
	(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-
	81100रू) या
	समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में
	दस वर्ष की सेवा की हो; और
	(ख) जो निम्निलित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो:-
	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से डिग्री
	(ii) फिल्म भंडारण और वितरण में दो वर्ष का अनुभव
	वांछनीय:
	(i) फिल्म संपादन में कम से कम एक वर्ष का अनुभव ।
	टिप्पण 1: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100रू.) में ऐसे विभागीय फिल्म
	पुस्तकालयाध्यक्ष जिन्होंनें उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और
	शैक्षिक अर्हताए और विहित अनुभव रखता हो, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए
	बाहर वालों के साथ विचार किया जाएगा । यदि उस पद नियुक्ति के लिए चयन

किए जाने की दशा में वह पद प्रोन्नित द्वारा भरा गया समझा जाएगा।

टिप्पण 2: प्रितिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि,
जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस
नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्रय पद पर प्रतिनियुक्ति
(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से
अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति
के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से
अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय पुष्टि समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में
	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
	किया जाएगा ।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
होंगे :-	करना आवश्यक नहीं है ।
1. उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,	
संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक	
अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय - अध्यक्ष;	
2 उप निदेशक,	
संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक	
अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय - सदस्य;	
3. उप निदेशक की प्रास्थिति का अधिकारी या समतुल्य,	
सशस्त्र बल फिल्म और फोटो प्रभाग, रक्षा मंत्रालय - सदस्य।	

[फा. सं. ए/63698/IV/सी ए ओ/आर-II] टी. सनधुप, उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

New Delhi, the 9th March, 2021

- **S.R.O. 8.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Armed Forces Film and Photo Division (Chief Film Librarian) Recruitment Rules, 2007, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Chief Film Librarian in the Armed Forces Film and Photo Division, Ministry of Defence, namely:-
- 1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Armed Forces Film and Photo Division, Chief Film Librarian (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2021.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.**—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. **Disqualification.**—No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Chief Film Librarian.	1* (2021)	General Central	Level-6 in the pay
		Service, Group 'B',	matrix (Rs. 35400-
	*Subject to variation	Non-Gazetted,	112400).
	dependent on workload.	Non-Ministerial.	

Whether selection post or	Age-limit for direct	Educational and other	Whether age and educational
non-selection post.	recruits.	qualifications required	qualifications prescribed for direct
		for direct recruits.	recruits will apply in the case of
			promotees.
(5)	(6)	(7)	(8)
(3)	(0)	(1)	(6)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
Not applicable.	\ /	Not applicable.	

Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by	
	promotion or by deputation/absorption and percentage of the	
	vacancies to be filled by various methods	
(9)	(10)	
Two years.	Deputation (including short-term contract) or promotion.	

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made

(11)

Deputation (including short-term contract) or promotion:

officers under the Central Government or State Governments or Union territories Administration, or recognised Universities or research institutions or public sector undertakings or statutory or autonomous organisations:

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
 - (ii) with six years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300) in the parent cadre or department or equivalent; or
 - (iii) with ten years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience:-
 - (i) Degree from a recognised University or institute;
 - (ii) Two years experience in Film Storage and Distribution.

Desirable:

(i) At least one year experience in film editing.

- **Note 1:** The departmental Film Librarian in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) with ten years regular service in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion.
- **Note 2:** Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.
- **Note 3**: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Confirmation Committee exis	ts, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)		(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Com	mittee (for considering	Consultation with Union Public Service
confirmation) consisting of:-		Commission is not necessary.
(i) Dy Chief Administrative Officer,		
Office of the Joint Secretary		
and Chief Administrative Officer,		
Ministry of Defence	- Chairman;	
(ii) Deputy Director,		
Office of the Joint Secretary		
and Chief Administrative Officer,		
Ministry of Defence	- Member;	
(iii) An officer of the status of Deputy		
Director or equivalent, Armed		
Forces Film and Photo Division,		
Ministry of Defence	-Member.	

[F. No.A/63698/IV/CAO/R-II]

T. SUNDUP, Dy. Chief Administrative Officer

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2021

- का.नि.आ. 9.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय और प्रशिक्षण स्थापना समूह 'ग' कर्मचारी भर्ती नियम, 2005 के, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, महानिदेशालय राष्ट्रीय कैडेट कोर, रक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय और प्रशिक्षण स्थापना में नक्शानवीस (श्रेणी-III) (सिविल), बर्ढ़ई (श्रेणी-III) और पेंटर (श्रेणी-III) समूह 'ग' कर्मचारियों के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-
- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय और प्रशिक्षण स्थापना {नक्शानवीस (श्रेणी-III) (सिविल), बढ़ई (श्रेणी-III) और पेंटर (श्रेणी-III) समूह 'ग'} पद भर्ती नियम, 2021 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो उन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता** वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं. विवाह किया है: या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति .—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

			- ગંદુપૂર		
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स	चयन पद है	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए
			में स्तर	या अचयन	आयु-सीमा
				पद	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नक्शानवीस श्रेणी-III (सिविल)	*02 (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500- 81100/- रू)	लागू नहीं होता	(आयु 18 से 25 वर्ष के बीच) (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष और सेना, नौ सेना और वायुसेना में सेवारत भूतपूर्व सैनिकों के लिए + तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1 :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्धाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षयद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई
					है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	की अवधि,	सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक :	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती
(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरी में डिप्लोमा या समतुल्य या तीनों सशस्त्र बलों अर्थात् सेना, नौ सेना और वायुसेना में से किसी बल का सेवारत भूतपूर्व नक्शानवीस या किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से सिविल इंजीनियरी में नक्शानवीस में प्रमाणपत्र।			

वांछनीय :	
किसी सरकारी या कानूनी या स्वाशासी संगठन या पब्लिक	
सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या ख्यातिप्राप्त निजी संगठन	
के क्षेत्र में या सुसंगत विद्या में एक वर्ष का अनुभव।	
टिप्पण 1 :- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में	
कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के	
विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	
टिप्पण 2 :-अनुभव संबंधी अर्हता कारणों के लिए जो लेखबद्ध	
किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित	
जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की दशा	
में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर	
सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित	
रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन	
समुदायों के अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की	
संभावना नहीं है।	

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	लागू नहीं होता।
	(क) निदेशक (कार्मिक) - अध्यक्ष ;	
	(ख) उप निदेशक या समतुल्य -सदस्य;	
	(ग) उप निदेशक या समतुल्य जो विभाग से संबद्ध न हों - सदस्य;	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) बढ़ई श्रेणी-III	(2) *02 (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	(3) साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	(4) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900- 63200/- रू)	(5) लागू नहीं होता	(6) (आयु 18 से 25 वर्ष के बीच) (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए ऊपरी आयु सीमा चालीस वर्ष तक और सेना, नौ सेना और वायुसेना के भूतपूर्व सैनिकों के लिए + तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1 :- केन्द्रीय सरकार द्वारा समयसमय पर यथा अधिसूचित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछुड़े वर्गों और कितपय अन्य प्रवर्गों के लिए शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 :- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछुड़े वर्गों की अन्य आयु की शिथिलता के साथ संचयी रूप से शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 3 :-आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यार्थियों

	<u> </u>	
		से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई
		अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम
		तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल
		प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा,
		सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्धाख खंड,
		हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले
		तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान
		और निकोबार द्वीप या लक्षयद्वीप के
		अभ्यार्थियों के लिए विहित की गई है।)
		टिप्पण 4 :- रोजगार कार्यालय के माध्यम
		से आने वाले अभ्यार्थियों की दशा में आयु
		सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक
		तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक
		रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए
		कहा गया है।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक :	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती और	आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने
ऐसे व्यक्ति जिनके पास बढ़ई के व्यवसाय में		पुनर्नियोजित किए जाने	पर (भूतपूर्व सैनिकों के लिए)
आद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र या		वाले व्यक्तियों या भूतपूर्व	पुनर्नियोजन द्वारा दोनों के न हो
समतुल्य है या सेना, नौ सेना तथा वायुसेना के		सैनिक के लिए दो वर्ष	सकने पर सीधी भर्ती द्वारा
बढ़ई औरह्य कठिहार तथा समतुल्य व्यवसायों के			
सेवारत या भूतपूर्व सैनिक।			

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
आमेलन: ऐसे व्यक्ति जो रक्षा मंत्रालय के अन्य संगठनों में समस्त समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्य कर रहे है और जिनके पास स्तंभ 7 में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निहित शैक्षिक अहर्ताएं है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए (पुनर्नियोजन):- सशस्त्र बल के ऐसे कर्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले है या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अहर्ताएं है। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (क) निदेशक (कार्मिक) -अध्यक्ष ; (ख) उप निदेशक या समतुल्य -सदस्य; (ग) उप निदेशक या समतुल्य जो विभाग से संबंधित न हों - सदस्य;	लागू नहीं होता।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा
4.1)	(-)	4-1		पद	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पेंटर	*01	साधारण	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं	(आयु 18 से 25 वर्ष के बीच)
श्रेणी-III	(2021)	केन्द्रीय सेवा,	स्तर-2 (19900-	होता	(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों
	*कार्यभार के	समूह 'ग'	63200/- ₹5)		या अदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए
		अराजपत्रित,			चालीस वर्ष तक और सेना, नौ सेना और
	आधार पर	,,			वायुसेना के भूतपूर्व सैनिकों के लिए + तीन वर्ष

परिवर्तन किया	अनुसचिवीय।	तक शिथिल की जा सकती है।)
जा सकता है।		टिप्पण 1 :- केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और कतिपय अन्य प्रवर्गों के लिए शिथिल की जा सकती है।
		टिप्पण 2 :- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की अन्य आयु की शिथिलता के साथ संचयी रूप से शिथिल की जा सकती है।
		टिप्पण 3 :-आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जा असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेशश् मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्धाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल औ स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षयद्वीप के अभ्यार्थियों
		के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 4 :- रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यार्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए	सीधे भर्ती किए जाने वाले		_
अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	व्यक्तियों के लिए विहित आयु	अवधि, यदि	या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /
	और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत	कोई हो	आमेलन द्वारा तथा विभिन्न
	व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी		पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली
			रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
ऐसे व्यक्ति जिनके पास औद्योगिक प्रशिक्षण	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने
संस्थान प्रमाणपत्र है। भूतपूर्व व्यवसाय शिक्षु।			पर आमेलन द्वारा भूतपूर्व सैनिक
अर्द्ध कुशल श्रेणी में प्रविष्ट एन.सी.टी वी.टी.			के लिए दोनों के न हो सकने पर
जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की है या			प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन सभी
सेना के पेंटर और पेंटर तथा सज्जकार के			के न हो सकने पर सीधी भर्ती
व्यवसाय के और नौसेना और वायु सेना में			द्वारा।
समतुल्य व्यवसाय के सेवारत या भूतपूर्व सैनिक।			

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी	भर्ती करने में किन
श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया	संरचना।	परिस्थितियों में संघ
जाएगा।		लोक सेवा आयोग से
		परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : समूह 'घ' के कर्मचारी जिन्होंने विहित	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में	लागू नहीं होता।
व्यवसायिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् उस श्रेणी में	विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	
कम से कम तीन वर्ष की सेवा की है। आमेलन : ऐसे व्यक्ति जिनके पास औद्योगिक प्रशिक्षण	(क) निदेशक (कार्मिक) - अध्यक्ष ;	

संस्थान प्रमाणपत्र है या भूतपूर्व व्यवसाय शिक्षु या वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 (18000-56900/- रू) में अर्धकुशल श्रेणी में एन.सी.टी.वी.टी. जिन्होंने रक्षा मंत्रालय के अन्य संगठनों में चार वर्ष की सेवा की है।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए :- पुनर्नियोजन, सशस्त्र बल के ऐसे किमेंकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अविध के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अहर्ताएं है। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीक्ष तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

टिप्पण 1 :- जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

- (ख) उप निदेशक या समतुल्य -सदस्य;
- (ग) उप निदेशक या समतुल्य जो विभाग से संबद्ध न हों - सदस्य;

[फा.सं.12265/स. 'ग'/डीजीएनसीसी/का.(सी)/10/आर.आर/रक्षा (नियुक्तियां)/2021]

देवेन्द्र कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 26th February, 2021

- **S.R.O. 9.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Cadet Corps Directorates and Training Establishments Group 'C' Employees, Recruitment Rules, 2005, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Posts of Draughtsman (Grade-III) (Civil), Carpenter (Grade-III) and Painter (Grade-III) Group 'C' employees in the National Cadet Corps Directorates and Training Establishments under the Directorate General NCC, Ministry of Defence, namely:-
- 1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Ministry of Defence, National Cadet Corps Directorates and Training Establishments {Draughtsman (Grade-III) (Civil), Carpenter (Grade-III) and Painter (Grade-III)} Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2021.
 - (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule.
- 3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. **Disqualification.**—No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts.

provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

- 5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by and order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving.**—Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of posts.	Classification	Level in the pay matrix	Whether Selection- cum-seniority or	Age-limit for Direct Recruitment.
				selection by merit or non-selection	
(1)	(2)	(3)	(4)	posts.	(6)
Draughtsman	*2 (2021)	General	Level-4 in the	Not applicable.	(Between 18 to 25 years)
Grade-III	*subject	Central	pay matrix	Tiot applicable.	(Relaxable for Government
(Civil).	to	Service,	(Rs. 25500-		servants of upper age-limit upto
(61/11).	variation	Group 'C'	81100/-).		forty years and for Ex-Servicemen
	dependent	Non-Gazetted,	01100/).		service rendered in Army, Navy
	on	Non-			and Air Force plus three years in
	workload.	Ministerial.			accordance with the instructions or
					orders issued by the Central
					Government.)
					Note: The crucial date for
					determining the age-limit shall be
					the closing date for receipt of
					applications from candidates in
					India (and not the closing date
					prescribed for those in Assam,
					Meghalaya, Arunachal Pradesh,
					Mizoram, Manipur, Nagaland,
					Tripura, Sikkim, UTs of Ladakh
					and Jammu & Kashmir, Lahual and
					Spiti district and Pangi Sub-
					division of Chamba district of
					Himachal Pradesh, Andaman and
					Nicobar Islands of Lakshadweep).

Educational and other qualifications	Whether age and educational	Period of	Method of recruitment
required for direct recruitment.	qualifications prescribed for	probation, if any.	whether by direct recruitment
-	direct recruits will apply in the		or by promotion or by
	case of promotes.		absorption or by deputation
			and percentage of the posts to
			be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential:	Not applicable.	Two years.	Direct recruitment.
(i) Diploma in Civil Engineering from			
a recognized Institution or equivalent			
or Serving or Ex servicemen			
Draughtsman from any of the three			
forces viz Army, Navy and Air Force			
or certificate in Draughtsmanship in			
Civil Engineering from an Industrial			
Training Institute.			
Desirables and assessment in the			
Desirable: one year experience in the			
relevant discipline or area in			
organization in Government or			

Statutory or autonomous Organisation, PSU or University or private organization of repute.		
NOTE 1:- The qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.		
NOTE 2:- The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, the grades from which promotion or deputation	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
or absorption to be made		
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee	Not applicable.
	(for confirmation) consisting of:-	
	(a) Director (Personnel) – Chairman;	
	(b) Deputy Director or equivalent — Member ;	
	(c) Deputy Director or equivalent unconnected with the division — Member ;	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Carpenter Grade-III	*2 (2021) *subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C' Non- Gazetted, Ministerial	Level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200/-)	Not applicable	(Between 18 to 25 years) (Relaxable for Government servant of upper age-limit upto forty years and for the Ex-Servicemen service rendered in Army, Navy and Air Force plus three years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note 1. Relaxable for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes and certain other categories as notified by the Central Government from time to time. Note 2. Relaxable cumulatively with any other age relaxation for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes. Note 3. The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date of receipt of applications from candidates in India (and not the closing date

	prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh,
	Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura,
	Sikkim, UTs of Ladakh and Jammu &
	Kashmir, Lahual and Spiti district and
	Pangi Sub-division of Chamba district
	of Himachal Pradesh, Andaman and
	Nicobar Islands or Lakshadweep).
	Note 4. In the case of recruitment made
	through the Employment Exchange, the
	crucial date for determining the age
	limit shall be the last date upto which
	the Employment Exchange is asked to
	submit the names.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential:	Not applicable.	Two years for direct recruits	By absorption failing which
Persons having Industrial Training		and re-employed or ex-	by re-employment (for ex-
Institute certificate in the Carpentry		servicemen.	servicemen) failing both by
trade or its equivalent or serving or			direct recruitment.
Ex-servicemen belonging to the			
trade of Carpenter and Jointer of			
Army and equivalent trades in Navy			
and Air Force.			

(11)	(12)	(13)
Absorption : Persons working in similar or	Group 'C' Departmental Promotion	Not applicable.
equivalent or higher grades in other	Committee (for confirmation) consisting of:-	
organisations of Ministry of Defence and possessing educational qualifications	(a) Director (Personnel) - Chairman;	
prescribed for direct recruits in column (7).	(b) Deputy Director or equivalent – Member ;	
For Ex-Servicemen (Re-employment):	(c) Deputy Director or equivalent unconnected	
The Armed Forces personnel due to retire	with the division – Member ;	
or who are to be transferred to reserve		
within a period of one year and having		
requisite experience and qualifications		
prescribed shall also be considered. Such		
persons would be given deputation terms		
upto the date on which they are due for		
release from the Armed Forces; thereafter		
they may be continued on re-employment		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Painter	*1 (2021)	General Central	Level-2 in the	Not applicable	(Between 18 to 25 years)
Grade-III	*subject to	Service, Group	pay matrix		(Relaxable for Government
	variation	'C' Non-	(Rs. 19900-		servant of upper age-limit upto
	dependent	Gazetted,	63200/-)		forty years and for the Ex-
	on	Ministerial			Servicemen service rendered in
	workload				Army, Navy and Air Force plus
					three years in accordance with
					the instructions or orders issued
					by the Central Government.)
					Note 1. Relaxable for the
					Scheduled Castes, the Scheduled
					Tribes, the Other Backward
					Classes and certain other
					categories as notified by the

		Central Government from time to time.
		Note 2. Relaxable cumulatively with any other age relaxation for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes.
		Note 3. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date of receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, UTs of Ladakh and Jammu & Kashmir, Lahual and Spiti district and Pangi Subdivision of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
		Note 4. In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the
		names.

(7)	(8)	(9)	(10)
Persons having Industrial Training Institute	Not applicable	Two years	By promotion failing which by
certificate or Ex-trade apprentices or			absorption failing both
National Council for Training in the			deputation or re-employment
Vocational Trades inducted in the semi-			(for ex-servicemen) failing all
skilled grade with two years service in that			by direct recruitment.
grade, or serving or Ex-servicemen			
belonging to the trade to the Painter and			
Painter and Decorator of Army and			
equivalent trades in Navy and Air Force.			

(11)	(12)	(13)
Promotion : Group 'D' employees with	Group 'C' Departmental Promotion	Not applicable.
minimum of three years service in the grade	Committee (for confirmation) consisting of:-	
and after passing the prescribed trade test.	(a) Director (Personnel) - Chairman;	
Absorption: Persons with Industrial Training Institute certificate or ex-trade	(b) Deputy Director or equivalent — Member ;	
apprentices or National Council for Training	(c) Deputy Director or equivalent unconnected	
in the Vocational Trades in the semi-skilled Level-1 (Rs. 18000-56900/-) of the Pay	with the division — Member ;	
Matrix, who have rendered four years		
service in the grade in other organizations of		
Ministry of Defence.		
For Ex-Servicemen: Re-employment. The		
Armed Forces personnel due to retire or who		
are to be transferred to reserve within a		

period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces thereafter they may be continued on re-employment	
Note : Where juniors who have completed	
their qualifying eligibility service are being	
considered for promotion, their seniors	
would also be considered provided they are	
not short of the requisite qualifying or	
eligibility service by more than half of such	
qualifying or eligibility service or two years	
whichever is less and have successfully	
completed the probation period for	
promotion to the next higher grade along	
with their juniors who have already	
completed such qualifying or eligibility	
service.	

[F. No. 12265/Gp 'C'/DGNCC/Pers(C)/10/RR/D(Apptts)/2021] DEVENDRA KUMAR, Under Secy.